

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0 170/20 ता0रजु 6.1.20 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 07.02.20

सरकार

बनाम

जगदीश पुत्र जलसिंह

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का खैली गडागिया ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम खैली गडागिया के खसरा नम्बर 2132 रकवा 3.12 हैक्ट. किस्म भूमि आरागाह पर सम्बत 2076 में श्री जगदीश पुत्र जलसिंह कि0 खैली गडागिया तह0 बयाना ने 0-32 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 2132 रकवा 0-32 हैक्ट. वाके ग्राम खैली गडागिया से बेदखल किया जाता है। लगान 5.12 का 50 गुणा पैन्टली राशि 256K रुपये से दण्डित किया जाता है। पैन्टली की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैन्टली वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी / अवैध कब्जा / बेदखली बाबत हल्का पटवारी / गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 07.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)